

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या -50/2022
अनवान :-

1. किरसन पुत्र धनपतराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. विनोद पुत्र धनपतराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. महावीर पुत्र गोपाल जाति छिम्पा निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. राजेश पुत्र अमीलाल पुत्र तनसुख जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. राकेश कुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. धर्मपाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. हंसराज पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. दुनीराम पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर(हनुमानगढ)
9. बृजलाल पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर (हनुमानगढ)

-प्रार्थीगण

बनाम्

1. ओम प्रकाश पुत्र मनफूल जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र मनफूल जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. दाखां पत्नी मनफूल जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. आशाराम पुत्र फरसाराम जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. कमला पत्नी नन्दराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. कलावती पुत्री नन्दराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला
7. सरोज पुत्री नन्दराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
8. पवन पुत्र नन्दराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. रामचन्द्र पुत्र नन्दराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
10. सुमन देवी पत्नी ओम प्रकाश जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
11. ख्यालीराम पुत्र मोमनराम जाति मेघवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
12. नाथी देवी पत्नी टीकुराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
13. ललिता पत्नी सुलतान जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
14. बनवारी पुत्र धनपतराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
15. महावीर पुत्र धनपतराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
16. रामेश्वलाल पुत्र अमीलाल पुत्र तनसुख जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर
17. मनीराम पुत्र अमीलाल पुत्र तनसुख जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
18. मोहबतराम पुत्र अमीलाल पुत्र तनसुख जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर
19. सोहनलाल पुत्र अमीलाल पुत्र तनसुख जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर
20. दलीप कुमार पुत्र अमीलाल पुत्र तनसुख जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
21. सुरेन्द्र पुत्र अमीलाल पुत्र तनसुख जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
22. कृष्णा पुत्री अमीलाल पुत्र तनसुख जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
23. सरला पुत्री अमीलाल पुत्र तनसुख जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
24. लिछमा देवी पत्नी पुत्र अमीलाल पुत्र तनसुख जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
25. शिव भगवान पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
26. शिशपाल पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
27. सुभाषचन्द्र पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर (हनुमानगढ)

28. हेतराम पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
29. मोहरा देवी पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
30. रूपराम पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
31. सुभाषचन्द्र पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
32. राजकुमार पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
33. शेराराम पुत्र चानणराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
34. सुभाषचन्द्र पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
35. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर ।

— असल अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :-

श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थीगण
निर्णय दिनांक: 27/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 5 पीपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 38/35 के प० नं० 95/32 (14) के किला नं. 15-16 की 0.506 है०, 23/2 की 0.126 है०, 24-25 की 0.506 है० कुल क्षेत्रफल 1.1380 है० कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या 1 व 2 अप्रार्थी संख्या 14 व 15 का 1/5 - 1/5 हिस्सा भूमि के काश्तकार है तथा रोही मौजा 5 पीपीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076 के खाता संख्या 39/41 के प० नं० 95/32 (14) के किला नं. 3 ता 8 की 1.5180 है० भूमि प्रार्थी संख्या 3 खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा 5पीपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 2/3 के प० नं० 95/32 (14) के किला नं. 13-14 की 0.506 है०, 17-18 की 0.506 है०, 23/1 की 0.127 है० कुल क्षेत्रफल 1.1390 है० कृषि भूमि अमीलाल पुत्र तनसुख जाति खाती निवासी बिरकाली के नाम खातेदार दर्ज है। अमीलाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिस प्रार्थी संख्या 4 व अप्रार्थी संख्या 16 ता 24 है कृषि भूमि इनको विरासत में प्राप्त होगी तथा रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 537/178 के प० नं० 95/29 (54) के किला नं. 11 ता 19, 24, 25 व प० नं० 95/37 (55) किला नं. 11, 20, 21 प० नं० 96/17 (137) किला नं. 25 व प० नं० 96/26 (179) के किला नं. 1 ता 5, 9, 10 प० नं० 136/59 (207) किला नं. 5, 16, 25 प० नं० 136/60 (233) किला नं. 5, 6, 7, 13 ता 18 प० नं० 156/3 (208) किला नं. 11, 20, 21, 22/2 प० नं० 156/4 (232) किला नं. 1, 2, 9 ता 12 कुल क्षेत्रफल 9.5180 है० कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या 5 का 1/9 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 25 का 1/3 हिस्सा, 26 का 1/3 हिस्सा, 27 का 1/9 हिस्सा, 28 का 1/9 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा 5 पीपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 41/7 के प० नं० 95/29 (1) के किला नं. 19 ता 24 प० नं० 95/30 (5) के किला नं. 1 ता 14 प० नं० 95/38 (4) के किला नं. 1. 10 कुल क्षेत्रफल 4.8820 है० भूमि में प्रार्थी संख्या 6 का 1/5 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 7 का 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 29 का 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 30 का 1/5 हिस्सा, 31 का 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा 5 पीपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 43/43 के प० नं० 95/30 (5) किला नं. 15 ता 19, 22 ता 25 प० नं० 95/31 (6) किला नं. 2 ता 4, 7 ता 9, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24 प० नं० 95/38 (4) किला नं. 8, 9, 11 ता 25 कुल क्षेत्रफल 9.2460 है० कृषि भूमि में से प्रार्थी संख्या 8 का 1/2 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 32 का 1/2 हिस्सा व रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 541/200 के प० नं० 95/37 (55) किला नं. 6, 7, 15 प० नं० 156/2 (169) किला नं. 16,

Lalul
अपजुष्ट अधिकारी
नोहर

24, 25 प० नं० 156/3 (208) के किला नं. 5 ता 7, 14 ता 17 प० नं० 156/5 (280) किला नं. 10 ता 12 कुल क्षेत्रफल 4.1300 है० कृषि भूमि में से अप्रार्थी संख्या 33 का 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 34 का 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा चक बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 289/523 के प० नं० 95/29 (54) के किला नं. 3 ता 8 प० नं० 95/37 (55) किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 कुल क्षेत्रफल 1.9630 है० कृषि भूमि का प्रार्थी संख्या 9 खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 5 पीपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 19/21 के प० नं० 95/40 (13) के किला नं. 18 ता 25 प० नं० 96/41 (17) के किला नं. 2, 9, 12 कुल क्षेत्रफल 2.5680 है० कृषि भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का 1/3 - 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा चक 5 पीपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 24/1 के प० नं० 95/39 (7) के किला नं. 21 ता 25 प० नं० 95/40 (13) के किला नं. 1 ता 7 प० नं० 95/48 (12) किला नं. 1, 10, 11, 19 ता 22 प० नं० 96/40 (17) किला नं. 1, 2 कुल क्षेत्रफल 7.1310 है० कृषि भूमि में से अप्रार्थी संख्या 4 का 4659/23770 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 का 5689/142620 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 6 का 2971/71310 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 7 का 2971/71310 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 8 का 7462/35655 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 9 का 7462/35655 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 10 का 253/142620 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 11 का 1159/23770 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 12 का 223/4754 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 13 का 1175/7131 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि है गांव बिरकाली से प्रार्थीगण के खेत में जाने के लिए चालु व मंजूरशुदा रास्ता नहीं होने के कारण से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। वादग्रस्त भूमि बिरकाली बारानी व चक 5 पीपीएम में पड़ती है जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि पड़ती है। प्रार्थीगण अपने खेत में जाने के लिए गांव बिरकाली से चलकर स्वीकृतशुदा रास्ता से होते हुए चक बिरकाली बारानी तहसील नोहर के प० नं० 96/38 (324), 96/37 (263), 96/36 (243), 96/33 (25), 96/34 (24), 96/33 (16) प्रत्येक के किला नं. 21, 20, 11, 10, 1 के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की तरफ 2-2 ग ड्वा चौड़ा मौके पर मंजूरशुदा रास्ता है व राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा मौके पर रास्ता चालु है इससे आगे रास्ता राजस्व रिकार्ड में मंजूर नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण अपने खेत में आवामगन नहीं कर पा रहे है।

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने खेत जाने के लिए मु० नं० 16 से आगे रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण भारी परेशानी उठानी पड़ती है इसलिए प० नं० 95/40 (13) के किला नं. 21, 20, 11, 10, 1 व प० नं० 95/39 (7) के किला नं. 21, 20, 11, 10, 1 व प० नं० 95/38 (4) के किला नं. 21, 20, 11, 10, 1 व प० नं० 95/37 (55) के किला नं. 21, 20, 11, 10, 1 में से दक्षिण से उत्तर की तरफ चलकर पश्चिम साईड में 2-2 गड्वा रास्ता मंजूर करवाना चाहते है जिसमें प० नं० 95/39 (7) के किला नं. 21, 20, 11, 10, 1 में पहले से रास्ता स्वीकृत है व चालु भी है लेकिन मु० नं० 13, 4, 55 में रास्ता मंजूर नहीं होने के कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सभी को अपने खेत में आने-जाने के लिए बहुत परेशानी होती है। यही रास्ता नजदीकी व सुविधाजनक है तथा यही रास्ता सभी प्रयोग करते रहे है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 14 ता 34 हमेशा से इसी रास्ता से आवामगन करते आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रास्ता मंजूर नहीं होने के कारण से बहुत परेशानी उठानी पड़ती है मु० नं० 13, 4, 55 में रास्ता स्वीकृत किये जाने से काश्तकारों को खेत आने-जाने में सुविधाजनक होगा तथा मु० नं० 7 में पहले से ही राजस्व रिकार्ड में रास्ता मंजूर शुदा रास्ता है तथा मु० नं० 13, 04, 55 में रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो जाता है तो गांव बिरकाली के सभी काश्तकारों को अपने खेत में जाने के लिए नजदीकी व सुविधा होगी।

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 14 ता 34 को रास्ता नहीं होने के कारण परेशानी हो रही है तथा भू प्रबन्धन विभाग ने चक प्लान में रास्ता की व्यवस्था की थी एक मुर्ब्बा पर रास्ता व दूसरे मुर्ब्बा को छोड़कर अगले पर रास्ता की व्यवस्था की थी जो आज भी व्यवस्था में है। एक मुर्ब्बा को छोड़कर रास्ता दर्ज किया था यानी अल्टरनेट (एक छोड़कर) पत्थर लाईन पर रास्ते का प्रावधान है इसी अनुसार मु० नं० 324, 263, 243, 25, 24, 16 तक रास्ता स्वीकृत है और मु० नं० 4 व 55 में रास्ता स्वीकृत नहीं है जिसको प्रार्थीगण मु० नं० 13, 4, 55 में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं जिससे काशतकार अपने खेत में आ जा सकें तथा गांव बिरकाली से गांव गन्धेली से जुड़ाव हो जाता है तथा ई. गा. नहर परियोजना क्षेत्र में उपनिवेशन विभाग की मैनुअल व परिपत्रों के अनुसार प्रत्येक चक के दक्षिण से उत्तर दिशा के रास्ते प्रत्येक प० नं० के किला नं० 1, 10, 11, 20, 21 में तथा पूर्व से पश्चिम दिशा के रास्ते प्रत्येक प० नं० के किला नं० 21 ता 25 में चालु रखने का प्रावधान है तथा इसी अनुसार ही सभी चकों में रास्ते मंजूर व चालु है उपनिवेशन विभाग की मैनुअल अनुसार दक्षिण से उत्तर दिशा के रास्ते पश्चिम साईड में अल्टरनेट पत्थर लाईन पर स्वीकृत होकर चालु रखने की व्यवस्था की गई है। इसी व्यवस्था के अनुसार 96/33 से 96/38 तक रास्ता स्वीकृत तथा चालु है तथा इनसे आगे उत्तर दिशा में 95/39 में रास्ता स्वीकृत व चालु है बीच में 95/40 में रास्ता विलोपित है तथा आगे उत्तर से 95/38 व 95/37 में रास्ता विलोपित है इसलिए प्रार्थीगण ने 95/40 (13), 95/38 (4) 5/37 (55) में रास्ता स्वीकृत कराने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है जो वाजिब व नियत संगत है। इस रास्ते के खुलवाने से बहुत से काशतकार को अपनी भूमि में कृषि कामों हेतु आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध हो जायेगा। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 14 ता 34 का अपने-अपने खेत में जाने का यही रास्ता है इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है तथा यह गांव के बहुत से काशतकारों का भी रास्ता है तथा अप्रार्थीगण की भी भूमि है जो स्वीकृत करना चाहते हैं यह रास्ता दर्ज होने से चक के सभी काशतकारों को फायदा होगा जो अपने खेत में आसानी से आवागमन कर सकेंगे। सदामत से यही एक मात्र रास्ता है जो सुविधाजनक है तथा अपने खेत में आवागमन करते हैं। राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं होने का लाभ उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 13 रास्ता में आवागमन करने से निषिद्ध करने पर आमादा है इसलिए प्रार्थीगण आवागमन हेतु उक्त रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं। इसी रास्ता में भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सभी काशतकारों की भूमि पड़ती है जिसमें यह रास्ता मंजूर होना है तथा यह रास्ता आम रास्ता है दो गांवों का जुड़ाव होता है जो आगे गांव की अल्टरनेट लाईन पर उपनिवेशन विभाग की गाईड लाईन के अनुसार स्वीकृत एवं चालु है। उसी अनुसार यह रास्ता मंजूर शुदा होना चाहिये था जिसकी प्रार्थीगण मांग कर रहे हैं। अतः चाहे गये रास्ते को स्वीकृत कर काशतकारों के हितों की रक्षा की जानी चाहिये अन्यथा काशतकार अपनी ही कृषि भूमि काशत करने से महरूम हो जायेगे जिससे सभी काशतकारों के हितों की क्षति होगी इसलिए चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाकर काशतकारों को न्याय मिल सकें व उनके कृषि हितों की सुरक्षा हो सके। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 14 ता 34 को परेशानी का सामाना करना पड़ता है तथा काशतकारों के हितों की क्षति होती है इसलिए प्रार्थीगण उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र 251 (ए) राजस्थान काशतकारी अधिनियम रास्ता स्वीकार फरमाया जाकर रोही मौजा 5 पीपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 19/21 के प० नं० 95/40 (13) किला नं. 20, 21 व खाता संख्या 24/1 के प० नं० 95/40 (13) के किला नं. 1, 10, 11 व खाता संख्या 43/43 के प० नं० 95/38 (4) के किला नं. 11, 20, 21 व खाता संख्या 41/7 के प० नं० 95/38 (4) के किला नं. 1/3, 10/2 व बिरकाली बरानी के खाता संख्या 541/200 के प० नं० 95/37 (55) के किला नं. 20/1, 21/1 व खाता संख्या 537/178 के प० नं० 95/37 (55) के

Zahur
 उपलब्ध अधिकारी
 नोहर

किला नं. 11/1 व खाता संख्या 289/523 के प० नं० 95/37 (55) के किला नं. 1/2, 10 के सभी किलो में दक्षिण से उत्तर की तरफ पश्चिम साईड में दो-दो गड्ढा (16-1/2) रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाये जाने का आदेश फरमावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार नोहर से रास्ता बाबात रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 व 13 ता 34 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 34 ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 व 13 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की सभी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेतों को रास्ता लगता है जो नक्शा में दर्शात है ओर जो रोही मोजा बिरकाली बारानी के मु. न. 55 के खेत को रास्ता चाहा गया है उनको भी नहर के साथ रास्ता लगता है जो मोके पर चालू है। प्रार्थीगण अपने-अपने दो दो खेतों को आपस में जोड़ने के लिये तथ्यों को छुपाते हुए दुसरे मु. न. 13 के काश्तकारों को तंग करने एवं उक्त प्रार्थना-पत्र की आढ में दुसरा रास्ता प्राप्त करने के कलए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। मु. न. 13 जो की गैरसायलान संख्या 1 ता 10 के चिपते हुए मु. न. 14 प्रार्थीयान का स्वय का है जिसके किला न. 5,10,15,16,25 के मिन पूर्व में से होकर स्वय का रास्ता स्वीकृत करवाकर सुविधाजकन रास्ता कायम कर सकते है। भू प्रबन्धन विभाग के चक प्लान व ईन्द्रागाधी नहर के मनुअल व परिपत्रों का हवाला दिया है उनके अनुसार अगर कोई राहत प्रार्थीगणों को प्रदान करनी थी तो उनके द्वारा घोषणात्मक दावा करना चाहिये था 251 (क) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है एवं चक बन्दी को 40 वर्ष बित चुके है यदि चक प्लान में कोई त्रुटी थी तो उसके लिए अलग से घोषणात्मक दावा लाया जाना था ओर जिस तरह से रास्ते की परेशानी बताई गई उसके चलते 40 वर्षों तक काश्त करना सम्भव नहीं है प्रार्थना-पत्र मनगढत पेश किया गया है इसलिए खारिज योग्य है। 5 पीपीएम व बिरकाली बारानी जो की अलग-अलग रोही मोजा है दोनों अलग-अलग चक प्लानों से रास्ता कायम है दोनों चकों के अलग-अलग खेत है जिनको रास्ते की सुविधा हासिल है अलग अलग चकों के अलग अलग रास्ते चक प्लान में कायम किये जाते है एक चक के काश्तकार दूसरे चक के अपने खेत को जाने के लिए दुसरा रास्ता 251 क के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त नहीं कर सकते है इसलिए प्रार्थना-पत्र 251 क के प्रावधानों को पूरा नहीं करने के कारण खारिज योग्य है। प्रार्थी तथ्यों को छुपाकर प्रार्थीयान के खेत जो की रोही मोजा 5 पीपीएम के मु. न. 14 में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसमें खाता संख्या 39/41 में प्रार्थी संख्या 3 के खेत किला न. 3,4,5,6,7,8 है जिसके उतर दिशा में रास्ता स्वीकृतशुदा व चालू है जिसके साथ चिपते किला न. 13,14,17,18,23/1 मृतक अमीलाल के नाम दर्ज है जिनके वारिसान प्रार्थी संख्या 4 व अप्रार्थी संख्या 17 ता 24 है व इसी मु. में अमीलाल के पूर्व व दक्षिण दिशा में प्रार्थी संख्या 1,2 व अप्रार्थी संख्या 14,15 के किला न. 15,16,23/2,24,25 पडते है। जिनका रास्ता प्रार्थी संख्या 3 के खेत में से होकर गुजरता है व जिसमें यदि रिकॉर्ड में दर्ज कराने की दर्करार है तो आपस में प्रार्थना-पत्र दर्ज कर रास्ता दर्ज करवाया जा सकता है। मु.न. 16 में दर्ज रास्ता को मु. न. 7 में जोड़ना चाहते है तो प्रार्थीयान 1 ता 4 अप्रार्थी संख्या 14 ता 24 का खुद का खेत म. न. 14 के किला न. 3,4,5,6,7,8 व 13 ता 18 व 23 ता 25 में पडता है जिसमें होकर मु. न. 16 से मु.न. 6 व 7 में जाया जा सकता है ओर उसके साथ चिपती भूमि मु.न. 4 व 5 में प्रार्थीयान की कहती है व स्वयं प्रार्थीयान अपने खेतों को जोड़ने के लिए सक्षम है जिसके बावजूद अप्रार्थीयान संख्या 1 ता 10 व 13 को तंग व परेशान करने की नियत से प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है इसलिए खारिज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

Zahid
उपसह अधिकारी
नोहर

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थीगण अपने खेत में जाने के लिए गांव बिरकाली से चलकर स्वीकृतशुदा रास्ता से होते हुए चक बिरकाली बारानी तहसील नोहर के प० नं० 96/38 (324), 96/37 (263), 96/36 (243), 96/33 (25), 96/34 (24), 96/33 (16) प्रत्येक के किला नं. 21, 20, 11, 10, 1 के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की तरफ 2-2 गड्ढा चौड़ा मौके पर मंजूरशुदा रास्ता है व राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा मौके पर रास्ता चालु है इससे आगे रास्ता राजस्व रिकार्ड में मंजूर नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण अपने खेत में आवामगन नहीं कर पा रहे है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने खेत जाने के लिए मु० नं० 16 से आगे रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण भारी परेशानी उठानी पड़ती है इसलिए प० नं० 95/40 (13) के किला नं. 21, 20, 11, 10, 1 व प० नं० 95/39 (7) के किला नं. 21, 20, 11, 10, 1 व प० नं० 95/38 (4) के किला नं. 21, 20, 11, 10, 1 व प० नं० 95/37 (55) के किला नं. 21, 20, 11, 10, 1 में से दक्षिण से उत्तर की तरफ चलकर पश्चिम साईड में 2-2 गड्ढा रास्ता मंजूर करवाना चाहते है जिसमें प० नं० 95/39 (7) के किला नं. 21, 20, 11, 10, 1 में पहले से रास्ता स्वीकृत है व चालु भी है लेकिन मु० नं० 13, 4, 55 में रास्ता मंजूर नहीं होने के कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सभी को अपने खेत में आने-जाने के लिए बहुत परेशानी होती है। यही रास्ता नजदीकी व सुविधाजनक है तथा यही रास्ता सभी प्रयोग करते रहे है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 14 ता 34 हमेशा से इसी रास्ता से आवामगन करते आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रास्ता मंजूर नहीं होने के कारण से बहुत परेशानी उठानी पड़ती है मु० नं० 13, 4, 55 में रास्ता स्वीकृत किये जाने से काश्तकारों को खेत आने-जाने में सुविधाजनक होगा तथा मु० नं० 7 में पहले से ही राजस्व रिकार्ड में रास्ता मंजूर शुदा रास्ता है तथा मु० नं० 13, 04, 55 में रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो जाता है तो गांव बिरकाली के सभी काश्तकारों को अपने खेत में जाने के लिए नजदीकी व सुविधा होगी। अत निवेदन है कि रोही मौजा 5 पीपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 19/21 के प० नं० 95/40 (13) किला नं. 20, 21 व खाता संख्या 24/1 के प० नं० 95/40 (13) के किला नं. 1, 10, 11 व खाता संख्या 43/43 के प० नं० 95/38 (4) के किला नं. 11, 20, 21 व खाता संख्या 41/7 के प० नं० 95/38 (4) के किला नं. 1/3, 10/2 व बिरकाली बारानी के खाता संख्या 541/200 के प० नं० 95/37 (55) के किला नं. 20/1, 21/1 व खाता संख्या 537/178 के प० नं० 95/37 (55) के किला नं. 11/1 व खाता संख्या 289/523 के प० नं० 95/37 (55) के किला नं. 1/2, 10 के सभी किलो में दक्षिण से उत्तर की तरफ पश्चिम साईड में दो-दो गड्ढा (16-1/2) रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाये जाने का आदेश फरमावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया की प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेतों को रास्ता लगता है जो नक्शा में दर्शात है ओर जो रोही मौजा बिरकाली बारानी के मु. न. 55 के खेत को रास्ता चाहा गया है उनको भी नहर के साथ रास्ता लगता है जो मौके पर चालु है। प्रार्थीगण अपने-अपने दो दो खेतों को आपस में जोड़ने के लिये तथ्यों को छुपाते हुऐ दुसरे मु. न. 13 के काश्तकारों को तंग करने एवं उक्त प्रार्थना-पत्र की आढ में दुसरा रास्ता प्राप्त करने के कलए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। मु. न. 13 जो की गैरसायलान संख्या 1 ता 10 के चिपते हुऐ मु नू. 14 प्रार्थीयान का स्वय का है जिसके किला न. 5,10,15,16,25 के मिन पूर्व में से होकर स्वय का रास्ता स्वीकृत करवाकर सुविधाजनक रास्ता कायम कर सकते है। भू प्रबन्धन विभाग के चक प्लान व इन्द्रागाधी नहर के मनुअल व परिपत्रों का हवाला दिया है उनके अनुसार अगर कोई राहत प्रार्थीगणों को प्रदान करनी थी तो उनके द्वारा घोषणात्मक दावा करना चाहिये था 251 (क) में ऐसा कोई प्रावधान नही है एवं चक बन्दी को 40 वर्ष बित चुके है यदि चक प्लान में कोई त्रुटी थी तो उसके लिए अलग से घोषणात्मक दावा लाया जाना था ओर जिस तरह से रास्ते की परेशानी बताई गई उसके चलते 40 वर्षों तक काश्त

करना सम्भव नहीं है प्रार्थना-पत्र मनगढत पेश किया गया है इसलिए खारिज योग्य है। 5 पीपीएम व बिरकाली बारानी जो की अलग-अलग रोही मोजा है दोनो अलग-अलग चक प्लानो से रास्ता कायम है दोनो चको के अलग-अलग खेत है जिनको रास्ते की सुविधा हासिल है अलग अलग चको के अलग अलग रास्ते चक प्लान में कायम किये जाते है एक चक के काश्तकार दूसरे चक के अपने खेत को जाने के लिए दुसरा रास्ता 251 क के प्रावधानो के अनुसार प्राप्त नहीं कर सकते है। प्रार्थी ने तथ्यो को छुपाकर प्रार्थीयान के खेत जो की रोही मोजा 5 पीपीएम के मु. न. 14 में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसमें खाता संख्या 39/41 में प्रार्थी संख्या 3 के खेत किला न. 3,4,5,6,7,8 है जिसके उतर दिशा में रास्ता स्वीकृतशुदा व चालू है मु.न. 16 में दर्ज रास्ता को मु. न. 7 में जोडना चाहते है तो प्रार्थीयान 1 ता 4 अप्राथर्थी संख्या 14 ता 24 का खुद का खेत म. न. 14 के किला न. 3,4,5,6,7,8 व 13 ता 18 व 23 ता 25 में पडता है जिसमें होकर मु. न. 16 से मु.न. 6 व 7 में जाया जा सकता है ओर उसके साथ चिपती भूमि मु.न. 4 व 5 में प्रार्थीयान की है व स्वयं प्रार्थीयान अपने खेतो को जोडने के लिए सक्षम है जिसके बावजूद अप्राथर्थीयान संख्या 1 ता 10 व 13 को तंग व परेशान करने की नियत से प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है इसलिए खारिज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे। उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसारकि प्रार्थीगण व अप्राथर्थीगण के नाम कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा रोही मौजा 5 पीपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 19/21 के प० नं० 95/40 (13) किला नं. 20, 21 व खाता संख्या 24/1 के प० नं० 95/40 (13) के किला नं. 1, 10, 11 व खाता संख्या 43/43 के प० नं० 95/38 (4) के किला नं. 11, 20, 21 व खाता संख्या 41/7 के प० नं० 95/38 (4) के किला नं. 1/3, 10/2 व बिरकाली बारानी के खाता संख्या 541/200 के प० नं० 95/37 (55) के किला नं. 20/1, 21/1 व खाता संख्या 537/178 के प० नं० 95/37 (55) के किला नं. 11/1 व खाता संख्या 289/523 के प० नं० 95/37 (55) के किला नं. 1/2, 10 के सभी किलो में दक्षिण से उत्तर की तरफ पश्चिम साईड में दो-दो गड्ढा (16-1/2) रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट सायलान के कथनों की पूष्टी करती है अर्थात सायलान को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये अप्राथर्थी के रोही मौजा 5 पीपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 19/21 के प० नं० 95/40 (13) किला नं. 20, 21 व खाता संख्या 24/1 के प० नं० 95/40 (13) के किला नं. 1, 10, 11 व खाता संख्या 43/43 के प० नं० 95/38 (4) के किला नं. 11, 20, 21 व खाता संख्या 41/7 के प० नं० 95/38 (4) के किला नं. 1/3, 10/2 व बिरकाली बारानी के खाता संख्या 541/200 के प० नं० 95/37 (55) के किला नं. 20/1, 21/1 व खाता संख्या 537/178 के प० नं० 95/37 (55) के किला नं. 11/1 व खाता संख्या 289/523 के प० नं० 95/37 (55) के किला नं. 1/2, 10 आवागमन हेतु रास्ता जो की सायलान के लिये छोटा एवं सुविधाजनक है।

गैरसायल का कथन है कि रोही मोजा 5 पीपीएम के मु. न. 14 में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसमें खाता संख्या 39/41 में प्रार्थी संख्या 3 के खेत किला न. 3,4,5,6,7,8 है जिसके उतर दिशा में रास्ता स्वीकृतशुदा व चालू है मु.न. 16 में दर्ज रास्ता को मु. न. 7 में जोडना चाहते है तो प्रार्थीयान 1 ता 4 अप्राथर्थी संख्या 14 ता 24 का खुद का खेत म. न. 14 के किला न. 3,4,5,6,7,8 व 13 ता 18 व 23 ता 25 में पडता है जिसमें होकर मु. न. 16 से मु. न. 6 व 7 में जाया जा सकता है ओर उसके साथ चिपती भूमि मु.न. 4 व 5 में प्रार्थीयान की है व स्वयं प्रार्थीयान अपने खेतो को जोडने के लिए सक्षम है इसलिए उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित नहीं है लेकिन किसी खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन

Rahul

Page 7 of 10


अपेक्ष अधिकारी
नोहर

हेतु रास्ता दिया जाना आवश्यक है एवं नजरीय नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त रास्ता सूविधाजनक एवं नजदीकी है इससे अधिक नजदीकी रास्ता सायल की भूमि में जाने के लिये उपलब्ध नहीं है तथा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के नियमों के अनुसार एक मुरब्बा पर रास्ता व दुसरे पर खाला बनाया जाता है उक्त प्रस्तावित रास्ता सदामती रास्ता की श्रेणी में होने के कारण स्वीकार योग्य है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार स्वीकृत शुद्ध रास्ता से सायलान की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का सबसे छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता प्रतित होता है अर्थात् सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता मौका रिपोर्ट अनुसार दिया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य सबुतों के आधार पर योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 5 पीपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 19/21 के प० नं० 95/40 (13) किला नं. 20, 21 व खाता संख्या 24/1 के प० नं० 95/40 (13) के किला नं. 1, 10, 11 व खाता संख्या 43/43 के प० नं० 95/38 (4) के किला नं. 11, 20, 21 व खाता संख्या 41/7 के प० नं० 95/38 (4) के किला नं. 1/3, 10/2 व बिरकाली बारानी के खाता संख्या 541/200 के प० नं० 95/37 (55) के किला नं. 20/1, 21/1 व खाता संख्या 537/178 के प० नं० 95/37 (55) के किला नं. 11/1 व खाता संख्या 289/523 के प० नं० 95/37 (55) के किला नं. 1/2, 10 के सभी किलो में दक्षिण से उत्तर की तरफ पश्चिम साईड में दो-दो गड्ढा (16-1/2) रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/589

दिनांक 27.3.26

तहसीलदार,
नोहर

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र सं0 50 सन 2025 निर्णय दिनांक 27/03/2026

अनवान :-

1. किरसन पुत्र धनपतराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. विनोद पुत्र धनपतराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. महावीर पुत्र गोपाल जाति छिम्पा निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. राजेश पुत्र अमीलाल पुत्र तनसुख जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. राकेश कुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. धर्मपाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. हंसराज पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. दुनीराम पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर(हनुमानगढ़)
9. बृजलाल पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर (हनुमानगढ़)

-प्रार्थीगण

बनाम्


1. ओम प्रकाश पुत्र मनफूल जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र मनफूल जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. दाखां पत्नी मनफूल जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. आशाराम पुत्र फरसाराम जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. कमला पत्नी नन्दराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. कलावती पुत्री नन्दराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला
7. सरोज पुत्री नन्दराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
8. पवन पुत्र नन्दराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. रामचन्द्र पुत्र नन्दराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
10. सुमन देवी पत्नी ओम प्रकाश जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
11. ख्यालीराम पुत्र मोमनराम जाति मेघवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
12. नाथी देवी पत्नी टीकुराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
13. ललिता पत्नी सुलतान जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
14. बनवारी पुत्र धनपतराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
15. महावीर पुत्र धनपतराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
16. रामेश्वलाल पुत्र अमीलाल पुत्र तनसुख जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर
17. मनीराम पुत्र अमीलाल पुत्र तनसुख जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
18. मोहबतराम पुत्र अमीलाल पुत्र तनसुख जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर
19. सोहनलाल पुत्र अमीलाल पुत्र तनसुख जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर
20. दलीप कुमार पुत्र अमीलाल पुत्र तनसुख जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
21. सुरेन्द्र पुत्र अमीलाल पुत्र तनसुख जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
22. कृष्णा पुत्री अमीलाल पुत्र तनसुख जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
23. सरला पुत्री अमीलाल पुत्र तनसुख जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

Salim
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

24. लिछमा देवी पत्नी पुत्र अमीलाल पुत्र तनसुख जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
25. शिव भगवान पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
26. शिशपाल पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
27. सुभाषचन्द्र पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर (हनुमानगढ)
28. हेतराम पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
29. मोहरा देवी पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
30. रूपराम पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
31. सुभाषचन्द्र पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
32. राजकुमार पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
33. शेराराम पुत्र चानणराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
34. सुभाषचन्द्र पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
35. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर ।

— असल अप्रार्थीगण

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा 5 पीपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 19/21 के प० नं० 95/40 (13) किला नं. 20, 21 व खाता संख्या 24/1 के प० नं० 95/40 (13) के किला नं. 1, 10, 11 व खाता संख्या 43/43 के प० नं० 95/38 (4) के किला नं. 11, 20, 21 व खाता संख्या 41/7 के प० नं० 95/38 (4) के किला नं. 1/3, 10/2 व बिरकाली बारानी के खाता संख्या 541/200 के प० नं० 95/37 (55) के किला नं. 20/1, 21/1 व खाता संख्या 537/178 के प० नं० 95/37 (55) के किला नं. 11/1 व खाता संख्या 289/523 के प० नं० 95/37 (55) के किला नं. 1/2, 10 के सभी किलो में दक्षिण से उत्तर की तरफ पश्चिम साईड में दो-दो गड्ढा (16-1/2) रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।


 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 नोहर (हनुमानगढ)